



## षोडश बिहार विधान सभा

### एकादश सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.11.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स०

श्री सुबोध राय, स०वि०स०

श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री शशि भूषण हजारी, स०वि०स०

श्री विनय बिहारी, स०वि०स०

श्री रामप्रीत पासवान, स०वि०स०

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह,  
स०वि०स०

डा० सुनील कुमार, स०वि०स०

“राज्य के जिलों से उच्चस्तरीय ईलाज हेतु स्वास्थ्य गैर सरकारी एम्बुलेन्स से पटना आने वाले गरीब रोगियों को एम्बुलेन्स चालकों द्वारा नर्सिंग होम मालिकों से अवैध राशि लेकर, निजी नर्सिंग होम में पहुँचा दिया जाता है एवं आई०सी०यू० के नाम पर रोगी के परिजनों का आर्थिक दोहन किया जाता है। अनाप-शनाप बिल का भुगतान करने में असमर्थ रोगियों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है। कभी-कभी राशि के अभाव में रोगी को बिना भुगतान लिए रिलीज नहीं किया जाता है।

अतः राज्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री मो० आफाक आलम,  
संवि०स०  
डा० मुहम्मद जावेद,  
संवि०स०  
श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन,  
संवि०स०  
श्री अमीत कुमार,  
संवि०स०  
श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी,  
संवि०स०
- "बिहार राज्य में वर्ष-1987 में 2459 मदरसों की सूची में 814 मदरसों के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विगत 4 वर्षों से उक्त मदरसा शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 464 मदरसों को जाँच कर सरकार के पास मदरसा शिक्षकों के भुगतान हेतु अनुशंसा भेजा गया है, लेकिन अनुशंसा के आलोक में मदरसा शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं किया गया है।
- अतः 814 मदरसा शिक्षकों का 4 वर्षों से लंबित वेतन का भुगतान एवं जाँच के बाद स्वीकृत 464 मदरसा शिक्षकों के वेतन का भुगतान हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/18- 9837 / वि०स०, पटना, दिनांक-29 नवम्बर, 2018 ई०।  
प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रदीप कुमार राय  
29.11.2018  
(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/18- 9837 / वि०स०, पटना, दिनांक-29 नवम्बर, 2018 ई०।  
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रदीप कुमार राय  
29.11.2018  
(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।